न्यायालय अति0 जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपील संख्या 12 / 59 / 2024 रजि० नं0 2024 / 49 प्रवेश तिथि 29.07.2024

अपीलार्थी :–	प्रत्यर्थी :–
विनोद कुमार पुत्र स्व0 प्रेमचन्द शर्मा एल.एल.बी (p) a-21 Sf-5, Slf Ved Vihar (Ankur Vihar), Loni, Ghaziabad, u.p-201102	राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा

न्यायालय अति0 जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राज0) सत्यमेव जयते

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

–: निर्णय :– दिनांक 06.08.2024

1– अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा को प्रथम आवेदन पत्र दिनांक 08.05.2024 प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।

2– अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है, कि राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।

3– अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा से जरिये नोटिस क्रमांक 1582 दिनांक 30.07.2024 से जवाब तलब किया गया, एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी कर, यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 06.08.2024 को उपस्थित आवें।

4– अपीलार्थी नियत दिनाक को उपस्थित नही आया। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर ने जर्ये पत्र क्रमाक 1766 दिनाक 30.07.2024 के द्वारा जवाब पेश किया गया है। जवाब के साथ पूर्व में जारी पत्र क्रमाक 1088 दिनाक 15.05.2024 की प्रति भी संलग्न की गयी है। जवाब में अवगत कराया है, कि अपीलार्थी द्वारा प्रथम आवेदन दिनाक 08.05.2024 में वर्णित बिन्दूओ पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सूचना चाही गयी। चाही गयी सूचनाऐ/उस पर की जाने वाली कार्यवाही तहसीलदार मुण्डावर से संबंधित होने के कारण जर्ये पत्राक 1088 दिनाक 15.05.2024 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अन्तरित किया

06/08/2024

गया है। जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी भिजवायी जाकर सूचित किया गया है। प्रस्तुत अपील में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर की गयी कार्यवाही से अपीलार्थी को अवगत कराया जा चुका है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।

5– पत्रावली का अवलोकन किया। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर द्वारा अपीलार्थी को नियमानुसार/प्रावधानुसार कार्यवाही करते हुये की गयी कार्यवाही से अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है। अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

6– अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित–प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जायें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल रिकार्ड हो।

आज दिनांक 06.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06/08/24

(सुरेन्द्र सिंह यादव)
अति0 जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा

न्यायालय अति0 जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राज0)
सत्यमेव जयते